

ट्रंप के टैरिफ से भारत को नहीं होगा नुकसान

पुतिन बोले- रूस खरीदेगा भारत से दवाएं, फल-सब्जी

मॉस्को/नई दिल्ली 3 अक्टूबर. अमेरिकी टैरिफ की मार से भारत को अब एक बड़ी राहत मिलने का रही है और यह राहत आई है रूस की ओर से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका की नीतियों से भारत को जो भी नुकसान होगा, उसकी भरपाई रूस करेगा।

इससे भारत-रूस संबंधों की मजबूती फिर एक बार दुनिया के सामने उजागर हो गई है। ट्रंप टैरिफ से भारत को नुकसान नहीं होने देंगे यह घोषणा किसी और ने नहीं, बल्कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद की है। गुरुवार को



उन्होंने अपनी सरकार को स्पष्ट आदेश दिए कि वह भारत के साथ व्यापार संतुलन को सुधारने के उपाय तुरंत शुरू करे। पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने भारत पर कई उपायों पर 50 फीसदी तक आयात शुल्क

लगाया है। वलदाई डिस्कशन क्लब के मंच से बोलते हुए पुतिन ने कहा, रूस और भारत के बीच कोई तनाव नहीं है। हमने हमेशा एक-दूसरे को संवेदनशीलताओं का सम्मान किया है और आगे भी करेंगे। पुतिन ने कहा कि यहां कोई राजनीतिक पहलू नहीं है; यह पूरी तरह से एक आर्थिक गणना है। क्या भारत हमारे ऊर्जा संसाधनों को छोड़ देगा? अगर ऐसा है, तो उसे कुछ नुकसान होगा। अनुमान अलग-अलग हैं; कुछ का कहना है कि यह लगभग 9-10 अरब डॉलर हो सकता है। लेकिन अगर वह इनकार नहीं करता है, तो प्रतिबंध लगाए जाएंगे।

करूर भगदड़ की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाएं खारिज

मदुरै, 3 अक्टूबर. करूर भगदड़ के मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने बीजेपी की नेता उमा आनंदन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें करूर भगदड़ की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई

थी. पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट की मदुरै पीठ का रुख करने को कहा। याचिकाकर्ता बीजेपी नेता ने अदालत का रुख करते हुए कहा था कि इस घातक घटना के संबंध में कई सवाल

हैं, जिसमें संभावित आधिकारिक उदासीनता भी शामिल है। वहीं करूर भगदड़ घटना की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक (उत्तर) अस्सरा गर्ग के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है।

उत्तराधिकारी/गारंटर का नाम	मांग नोटिस दिनांक और राशि	सुरक्षित परिपत्रित (अचल संपत्ति) का विवरण
श्री नारायण गेहलोत, श्रीमती शांता बाई, श्रीमती शांता बाई (प्रॉसेक्यूट - 977108)	11-सितंबर-2025, रु.282419/- (दो लाख बत्सोई हजार चार सौ अठ्ठास मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा: सर्वे नं. 354, Ph.No.116, गांव महदुरैपुर, तहसील और जिला-उज्जैन, मध्य प्रदेश 456001 क्षेत्रफल मांग (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, कालीन, पूर्ण, निर्मित क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र: 648.00,500.00,648.00
श्री आशीष श्री जगदीश पाटीदार श्रीमती पद्मा पाटीदार, पाटीदार किराना नारायण आठवां कौशिक (इसके अधिकार/अधिकार/अधिकृत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से) (प्रॉसेक्यूट - नं. IL10296252)	11-सितंबर-2025, रु. 376381/- (मात्र तीन लाख छिन्नर हजार तीन सौ इक्कीस मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा: मकान नंबर 98, पटवारी हल्का नंबर 114, चोरेवाड़ा, खंडवा, मध्य प्रदेश, पिन नंबर 455001 पर स्थित है। संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, कारपेट परिया, निर्मित क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र: 2750.00, 1600.00, 2000.00
श्री नरेंद्र श्रीमती पवित्रा किराना स्टैट (इसके मालिक/प्रबंध निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से) (प्रॉसेक्यूट - नं. IL10492422)	15-सितंबर-2025, रु. 340405/- (तीन लाख चालीस हजार चार सौ पांच मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा: वाई क्रमांक 17, मकान क्रमांक 18, क्षेत्रफल 625 वर्ग फीट, गांव फतेहबाद, तहसील और जिला- उज्जैन, मध्य प्रदेश, पिन क्रमांक 456001 में स्थित है। क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, कारपेट परिया, निर्मित क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र: 220.00,0.00,850.00
श्री फिरोज कुरेशी श्रीमती सुलता बी मिररडी (प्रॉसेक्यूट - नं. IL10649205)	21-सितंबर-2025, रु.297682/- (दो लाख सत्तराने हजार छह सौ बत्सोई मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा: प्लॉट नंबर 169, क्षेत्रफल 400 वर्ग फीट, वारसी नगर देवास, जिला देवास, मध्य प्रदेश 455001 क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल: 400

नोट: उक्त उधारकर्ता आईआईएफएल एचएफएल को पूर्णतः भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो आईआईएफएल एचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिपत्रितियों के विरुद्ध, पूरी तरह से उधारकर्ताओं के जोखिम, लागत और परिणामों पर कार्यवाही कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया शाखा कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों से संपर्क करें: उद्यम तल, 29 विकास मोर्चा, अंधकव माक, नई सड़क उज्जैन (मध्य प्रदेश) - 456001, 226 चतुर्थ एमई रोड, चामुड़ा माता मंदिर के सामने, देवास - 455001 / या कॉर्पोरेट कार्यालय आईआईएफएल उद्यम, प्लॉट संख्या 58, उद्यम विहार, फेज-IV इंडुसट्रियल, हरियाणा।

स्थान: इन्दौर
दिनांक: 04.10.2025

In the Debts Recovery Tribunal, Jabalpur
(Jurisdiction Madhya Pradesh & Chattisgarh)
BEFORE THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JABALPUR AT H. NO. 2nd & 3rd Floor, Sachar Vikas Bhawan (BSNL Building), Near Head Post Office, Residency Road, South Civil Lines, Jabalpur (M.P.) 482001
Summons under Sub-Section (4) of Section 19 of the Act read with Sub-Rule 2A of Rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rule 1993 ORIGINAL APPLICATION No. No. 212 OF 2025
SUMMONS THROUGH PUBLICATION

INDIAN BANK ... APPLICANT
M/S YASH INTERNATIONAL & ORS. ... RESPONDENTS

1. **M/S YASH INTERNATIONAL**
R/o309-A, Pream Trade Center, Maharani Road, Indore (M.P.)
Also, at: Platform No. 1, Laxmi Bai Anaj Mandi, Indore (M.P.)

2. **Shri Yogesh Gachkeshwar S/o Shri Ghanshyam Gachkeshwar**
R/O Flat No.702, Block No. A-6, Avas Township, AR Road, Indore (M.P.)

3. **Shir Vaishali Patil W/O Shir Ajay Patil**
R/o 211A, Tulsai Nagar, Near Saraswati Mandir, Vijay Nagar Indore (M.P.)

Whereas, ORIGINAL APPLICATION No. 212 OF 2025 was listed before the Hon'ble Presiding Officer on 30.04.2025

Whereas the Hon ble Tribunal is pleased to issue Summons/ Notice on the said Application under Section 19(4) of the Act. OA filed against you for recovery of debts Of **Rs. 82,37,713.00 (RUPEES EIGHTY-TWO LAKH THIRTY-SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED THIRTEEN ONLY)**, Plus Interest at Contractual rates, penal interest 8s charges.

In accordance with the Sub-Section 4 of Section 19 of the Act, you Defendants are directed as under:

i) **To show cause within 30 days (thirty) of service of summons as to why relief prayed for should not be granted.**

ii) **To disclose particulars of properties or Assets other than the Properties and Assets specified by the Applicant under serial No. 3A of Original Application.**

iii) **You are restrained from dealing with or disposing of Secured Assets or such other Assets and properties under Serial No. 3A of the original application, pending hearing and disposal of the Application for attachment of Properties.**

iv) **You shall not transfer by way of Sale, Lease or otherwise, except in the ordinary course of business any of the Assets under which Security Interest is created and/or other Assets and Properties specified or disclosed under Serial No. 3A of the Original Application Without the prior approval of the Tribunal.**

v) **You shall be liable to account for sale Proceeds realised by Sale of Secured Assets or OTHER ASSETS AND PROPERTIES in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with Bank holding Security interest over such assets.**

vi) **You are also directed to file the Written Statement with the copy thereof furnished to the Applicant and to appear before the Hon'ble Tribunal at Jabalpur on 28.11.2025 at 10.30 AM, failing which the Application Shall be heard and decided in your absence.**

Given under my hand and Seal of the Tribunal on this 25th day of September, 2025.

Authorised Officer DRT Jabalpur

आज का इतिहास

1783 जॉर्जिया को रूस का संरक्षक बनाया गया।

1830 चिली में दास प्रथा समाप्त कर दी गई।

1834 पुर्तगाल में लिबरल युद्ध समाप्त हुआ।

1870 अमेरिका में पहली अंतरदेशीय रेल सेवा की शुरुआत हुई।

1911 भारत के प्रसिद्ध बॉसुरी वादक पत्रालाल घोष का जन्म।

1937 प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता मनोज कुमार का जन्म।

1944 300 लड़ाकू विमानों ने जर्मनी पर बम गिराए।

1945 बंगलोर स्थित विप्रो कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी का जन्म।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
क्षेत्रीय कार्यालय: प्लॉट नं. 160-161, पीयू-4, सी-21 माल के पीछे, स्क्रीम नं. 54, ए.बी. रोड, इन्दौर

ई-नीलामी की सूचना

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अधिनियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित विधियों आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरी/प्रभावित है, का मौलिक कब्जा प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जो जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है के आधार पर निम्न ऋणियों से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से प्रतिभूति लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा दिनांक 22.10.2025 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है।

ऋणी, जमानतदार एवं शाखा का नाम एवं मोबाईल नं.	बंधक संपत्तियों का विवरण	मांग पत्र दिनांक बकाया राशि (₹)	आरक्षित मूल्य (₹) विक्रय राशि (₹)
मेसर्स श्री सावरिया पेकेजिंग प्रो. सुश्री स्वाती पांचाल पिता श्री प्रवीण पांचाल, शाखा: कलॉय पार्क, मोबाईल: 83700 12016	सर्वे नं. 816/1 पर स्थित परिवर्तित भूमि, पटवारी हल्का नं. 68, सरल नं. 1005, ग्राम राजोवा, तहसील एवं जिला देवास (म.प्र.), मालिक: सुश्री स्वाती पांचाल पिता श्री प्रवीण पांचाल, क्षेत्रफल: 1506.4 वर्गफीट या 0.140 हेक्टर, चर्तु:सीमा: उत्तर: सर्वे नं. 816/2 की भूमि, दक्षिण: कच्चा रास्ता एवं सर्वे नं. 808 की भूमि, पूर्व: सर्वे नं. 815 की भूमि, पश्चिम: कच्चा रास्ता एवं सर्वे नं. 905 की भूमि	05.09.2023	77,08,000
		समाचार प्रकाशन दिनांक 27.10.2023	7,71,000
		2,06,90,032/- + ब्याज एवं अन्य खर्च - उसके बाद की गई विक्रयी	1,00,000

(ऑनलाइन) ई-नीलामी दिनांक: 22.10.2025, समय: प्रातः 10 से सायं 6 बजे तक

दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम दिनांक 21.10.2025 एवं ईएमपी जमा करने की अंतिम दिनांक व समय : 22.10.2025, सायं 4 बजे तक, ईएमपी को छोड़कर शेष बचोली की राशि जमा करने के लिए बैंक खाते का विवरण: अकाउंट नं. : 3283786076

खाते का नाम: प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर, IFSC CODE: CBIN0280765

बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सिक्क्योरिटी क्रेडिटर्स की वेबसाइट यानी www.centralbank.co.in और सेवा प्रदाता की वेबसाइट <https://baanknet.com> देखें। क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर 95222 73419 से संपर्क कर सकते हैं।

सिक्क्योरिटीजेशन एक्ट 2002 के अंतर्गत विक्रय हेतु 15 दिवसीय वैधानिक सूचना

सफल बोलीकर्ता को 15% राशि का भुगतान 24 घंटे के भीतर करना होगा। प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 04.10.2025

JANA SMALL FINANCE BANK
(A Scheduled Commercial Bank)

पंजीकृत कार्यालय: द फेवरेट, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वेक्षण क्रमांक 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, डोमनूर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, इंडीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्नवाड़ा, बेंगलूर-560071। शाखा कार्यालय: प्लॉट क्रमांक 306-ए, पीयू 4, स्क्रीम क्रमांक 54, केंद्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इंदौर-452010।

ई-नीलामी नोटिस

वित्तीय परिपत्रितियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के प्राधान्य नियम 8(6) और 9 के साथ पढ़ें।

जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने SARFAESI अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विरोध रूप से उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति की ऑनलाइन-नीलामी (ई-नीलामी) "जहाँ है जैसा है" और "जो है जैसा है जैसा है" के आधार पर नीचे निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	मूल उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटर का नाम	दिनांक 13-2 नोटिस	कब्जा की तिथि	वर्तमान बकाया शेष राशि	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय	आरक्षित मूल्य भारतीय रुपये में	बचाना राशि जमा (ईएमपी) भारतीय रुपये में	ई-नीलामी की तिथि और समय	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, समय और स्थान
1	32768240000100	1) श्री बदीलाल मालवीय, पुत्र बापुलाल, 2) श्रीमती रामकुमर बाई, पति बदीलाल	15.07.2024	03.01.2025	₹. 5,34,010.40 (पाँच लाख चौबीस हजार चार सौ इक्कीस मात्र) 08.09.2025 तक	सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	₹. 3,09,188.00 (तीन लाख अठ्ठासी हजार एक सौ अठ्ठासी मात्र)	₹. 33,918.80 (तीस हजार नौ सौ अठ्ठास मात्र) और अरसी पैसे मात्र	18.10.2025 @ सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक	17.10.2025 को शाम 5:00 बजे से पहले जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, प्लॉट संख्या 306-ए, पीयू 4, स्क्रीम नं. 54, कांठेरी इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इंदौर-452010।
2	45579440000276	1) श्री गोपाल सिंह, पुत्र जगदीशचंद्र, 2) श्रीमती कृपा बाई, पति गोपाल सिंह	18.06.2024	03.01.2025	₹. 3,62,886.51 (तीन लाख बत्सोई हजार आठ सौ इक्कीस और इक्कीस मात्र) 08.09.2025 तक	सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	₹. 4,82,760.00 (चार लाख बत्सोई हजार सात सौ साठ मात्र)	₹. 48,276.00 (अड़तालीस हजार दो सौ छत्तर मात्र)	18.10.2025 @ सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक	17.10.2025 को शाम 5:00 बजे से पहले जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, प्लॉट संख्या 306-ए, पीयू 4, स्क्रीम नं. 54, कांठेरी इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इंदौर-452010।
3	32769440000541 & 32769410000134	1) श्री बने सिंह, पुत्र कुले सिंह, 2) श्रीमती कमला बाई, पति बने सिंह	05.08.2024	17.01.2025	₹. 11,69,994.30 (ग्यारह लाख उनतर हजार नौ चौदहस और तीस पैसे मात्र) 08.09.2025 तक	सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	₹. 7,08,750.00 (सात लाख अठ्ठास सौ पचास मात्र)	₹. 70,875.00 (सत्रह हजार आठ सौ पचाहत्तर मात्र)	18.10.2025 @ सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक	17.10.2025 को शाम 5:00 बजे से पहले जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, प्लॉट संख्या 306-ए, पीयू 4, स्क्रीम नं. 54, कांठेरी इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इंदौर-452010।

संपत्ति विवरण/अनुसूची: प्लॉट/मकान संख्या 62 वाला वह समस्त भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 1050 वर्ग फुट है, तथा उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है। यह सर्वेक्षण संख्या 649, पीपेच नं. 09 का भाग है। यह ग्राम पारसोली में, ग्राम पंचायत पारसोली, तहसील तरना एवं जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में आबादी सरकारी भूमि, पश्चिम में रामप्रसाद मेटर, उत्तर में पीपय रोड और दक्षिण में सरकारी कूल से घिरा है।

संपत्ति विवरण/अनुसूची: प्लॉट/मकान संख्या 113 वाला वह समस्त भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 1824 वर्ग फुट है, तथा उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है। यह सर्वेक्षण संख्या 256, पीपेच नं. 103 का भाग है। यह ग्राम पारसोली में, ग्राम पंचायत आसरे, तहसील तरना एवं जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में सड़क, पश्चिम में स्वयं के स्वामित्व वाला खुला भूखंड, उत्तर में श्री अहलाद जी का मकान और दक्षिण में सड़क से घिरा है।

संपत्ति विवरण/अनुसूची: मकान/भूखंड संख्या 03 वाला वह समस्त भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट है, तथा उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है। यह सर्वेक्षण संख्या 135, पीपेच नं. 09 का भाग है। यह ग्राम पिपलिया बजार में, ग्राम पंचायत पारसोली, जनपद पंचायत तरना, तहसील माकड़ोइन एवं जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में सड़क, पश्चिम में स्वयं के स्वामित्व वाला खुला भूखंड, उत्तर में श्री अहलाद जी का मकान और दक्षिण में सड़क से घिरा है।

संपत्तियों में 'जैसा है' और 'जो है जैसा है जैसा है' के आधार पर रखी जा रही हैं और ई-नीलामी 'ऑनलाइन' आयोजित की जाएगी। उपरोक्त संपत्ति की खरीद से संबंधित सभी भुगतान जन लघु वित्त बैंक के उद्यम में किए जाएंगे। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स 4 क्लोअर के माध्यम से वेब पोर्टल <https://bankauctions.in> और www.foreclosureindia.com पर आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए और ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संपादित बोलोदाता मेसर्स 4 क्लोअर से संपर्क कर सकते हैं, श्री विकास केटरे से संपर्क करें, संपर्क संख्या: 8712637550। ईमेल आईडी: info@bankauctions.in / vikas@bankauctions.in ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नियम व शर्तों की अधिक जानकारी और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया जन लघु वित्त बैंक के अधिकारी श्री रंजन नाइक (मोबाइल नंबर 6362951653) से संपर्क करें। प्राधिकृत अधिकारियों की सर्वोच्च जानकारी और जान के अनुसार, इन संपत्तियों पर कोई भी हस्ताक्षर, इच्छुक ई-नीलामीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले भार और संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में स्वतंत्र रूप से पूछताछ कर लेना चाहिए। कोई भी संपत्ति बोली खरीदार नहीं की जाएगी। यह उपरोक्त उधारकर्ताओं/गारंटर/बंधककर्ताओं को बंधक संपत्तियों के लिए निष्कृत बोलीदाताओं के बारे में भी एक सूचना है। उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे नीलामी की तिथि से पहले उपरोक्त राशि, वर्तमान ब्याज और सहायक खर्चों सहित, का भुगतान करें। ऐसा न करने पर संपत्ति बेच दी जाएगी और यदि कोई बकाया राशि है, तो उसे ब्याज और लागत सहित मसूल किया जाएगा।

दिनांक: 04.10.2025, स्थान: इन्दौर

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड

चैतन्यान्द को 14 दिन के लिए भेजा जेल

नई दिल्ली 3 अक्टूबर. पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वामी चैतन्यान्द सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यान्द सरस्वती को 5 दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद पटियाला कोर्ट में पेश किया था. चैतन्यान्द सरस्वती पर इंडव्यूएस छात्रवृत्ति के तहत पीजीडीएम की पढ़ाई कर रही छात्राओं से छेड़छाड़ करने,जालसाजी का आरोप है.

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय: मोतीलाल ओसवाल टावर, रहमतुल्लाह सयानी रोड, एस्टी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई-400025. ईमेल: inquiry@motalalosaawal.com, सौभाग्य संख्या: U65923MH2013PLC248741

कच्चे की सूचना (अचल संपत्ति/संपत्तियों के लिए)
(सूचना हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अयोध्याशहरी मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (ओपरेटिव कम्पनी) के द्वारा मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, विविध आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित दिनांक का डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आग्रह किया गया है। निम्नलिखित उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसके द्वारा निम्नलिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अयोध्याशहरी ने नीचे उल्लिखित दिधि को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 को उभारता (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है।

क्र. सं.	ऋण अनुबंध संख्या / नाम उधारकर्ता /सह-उधारकर्ता/ गारंटर का नाम	मांग सूचना की तिथि और बकाया	कब्जा प्राप्ति की तिथि	अचल संपत्ति का विवरण संपत्ति का वह अधिन अंग जिसमें शामिल है
1	LXPT00417-180061520 उधारकर्ता: मुकेश कुमार सेन सह-उधारकर्ता: अहिल्या सेन	09-07-2024/ के लिए रु. 778584/-	29-09-2025	प्लॉट संख्या 160 मदन विहार एक्सटेंशन कालोनी क्रमांक 784/7 पैकी ग्राम महाराज दूरभाष-मृग-जिला-इंदौर 0 0 453441 मृग इंदौर मध्य प्रदेश
2	LXPT00218-190072823 उधारकर्ता: अशोक सुरेश कुमार सह-उधारकर्ता: अमित सुरेश कुमार	07-10-2024 / के लिए रु. 802224/-	29-09-2025	प्लॉट नंबर यू 037 सुपर सिटी सुरसिटी 0 0 0 पीपयपुर 453441 इंदौर मध्य प्रदेश

विरोध रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन उपर उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राधान्यों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिपत्रितियों को पुनर्निर्माण के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: मध्य प्रदेश
दिनांक: 04.10.2025

अनुवाद में दृष्टिवा विवेकित होने पर अग्रणी संस्करण मान्य होगा मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) खरगोन संभाग खरगोन
web site: www.mp.gov.in/pwdmp Email: eepwdkhangone@mp.nic.in
Phone No. 07282231213

निविदा आमंत्रण सूचना क्र.18/व.ले.लि./2025-2026/ टेंडर क्रम ऑक्शन निविदा खरगोन, दि. 30.09.2025

निम्नलिखित कार्य हेतु टेंडर कम ऑक्शन पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लिखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर देखा जा सकता है।

स.क्र.	निविदा सूचना क्र.	टेंडर नं.	कार्य का नाम	आफसेट वेल्यू	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1.	18	2025_PWDRB_455275_1	शासकीय महाविद्यालय बड़वाह जिला खरगोन में स्थित पुराने भवन को जर्मीदाज कर मलबा हटाने का कार्य। (तृतीय आमंत्रण)	रु.173328.00	रु.3470.00	रु.2000.00

निविदा के विस्तृत दस्तावेज एवं नियम व शर्तें वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> से नि:शुल्क डाउनलोड की जा सकती है। निविदाकार को निविदा शुरू एवं धरोहर राशि केवल ई-भुगतान के माध्यम से ऑनलाइन ही जमा करना होगा। निविदा प्रपत्र कथ्य करने एवं विड सवमिलान की अंतिम तिथि दिनांक 08.10.2025 सायं 6.00 बजे तक निर्धारित है। ऑनलाइन निलामी की प्रारम्भ तिथि दिनांक 10.10.2025 सुबह 10.00 बजे से अंतिम तिथि दि.11.10.2025 सायं 6.00 बजे तक निर्धारित है। किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन का प्रचार प्रसार केवल उपरोक्त वेबसाइट पर ही किया जावेगा। निविदा में प्राप्त सभी बिड/प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मप्र लोक निर्माण विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

(इंजी. आकाश दुबे)
कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ/प)
खरगोन संभाग खरगोन

जी-19573/25

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नन्दारा रस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड, अंधेरी (पूर्व) मुम्बई - 400069
खण्डवा शाखा: प्लॉट नंबर 1, श्री नगर कोलोनी, इंदौर रोड, खण्डवा - 450001 (मध्य प्रदेश)

मांग सूचना

सिक्क्योरिटीजेशन एंड रिस्कन्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एस्सेट्स एंड इंफोर्मेटिव ऑफ सिक्क्योरिटी इंस्ट्रुट एक्ट 2002 के साथ सपडित सिक्क्योरिटी इंस्ट्रुट (इंफोर्मेटिव) नियम 2002 का नियम 3(1) के साथ धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना सिक्क्योरिटीजेशन एंड रिस्कन्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एस्सेट्स एंड इंफोर्मेटिव ऑफ सिक्क्योरिटी इंस्ट्रुट एक्ट 2002 (उपरोक्त कानून) के अंतर्गत अयोध्याशहरी आंध्र हाउसिंग फायनेंस कांफिडेंस लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी है। उपरोक्त कानून की धारा 13(12) के साथ सपडित सिक्क्योरिटी इंस्ट्रुट (इंफोर्मेटिव) एक्ट, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे वर्णित निम्न ऋणकर्ता (ओं) (उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) को संबंधित मांग सूचना (ओं) में वर्णित राशि का पूर्ण भुगतान करने के लिए इलायते जाने के लिए जारी की गई थी। उपरोक्त संबंध में एक बार पुनः उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) को पुनः सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिवस के अंदर नीचे वर्णित राशि के साथ नीचे वर्णित लिखित से भुगतान की दिनांक एवं/या पुनः प्राप्ति तक लागू मूल ब्याज के उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं